न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/1165

1. रघुवीर पुत्र रामफूल माली निवासी गहलोनी तहसील महवा जिला दौसा।

—अपीलान्ट

बनाम

1. रामधन पुत्र रामफूल माली निवासी ग्राम पोस्ट गहनोली तहसील महवा जिला दौसा।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महवा जिला दौसा।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा दिनांक 25.08.2023 जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट उनवानी रामधन बनाम राज0 सरकार मुकदमा नंबर 27/2022 पर पारित किया गया है।

उपस्थित :—

1. श्री हेमराज गुर्जर, वकील अपीलान्ट ।
2. श्री उमेश गौड, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांक—16.09.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 25.08.2023 के खिलाफ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 22.04.2025 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. 01 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत् पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम बरीतकी तहसील महवा की आराजी ख.नं. 194/2 रकबा 0.01, 194/4 रकबा 0.02, 301/2 रकबा 0.52, 301/4 रकबा 0.06, 303/1 रकबा 0.23, 303/3 रकबा 0.01, 304/1 रकबा 0.40 है0 खसरा नम्बर 304/3 रकबा 0.01 हैक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 1.26 हैक्टर प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। उक्त आराजी श्रीमान न्यायालय से कानूनी बंटवारा होने के वाद प्रार्थी को मिली है जिसका अप्रार्थीगण का कोई संबंध सरोकार नहीं है। दिनांक 30.06.2021 को तहसीलदार के निर्देशानुसार पटवारी हल्का व गठित टीम द्वारा मौके पर उक्त भूमि का सीमाज्ञान कर निशानात लगाये गये। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का प्रार्थना—पत्र बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार महवा को आदेश दिये गये कि ग्राम बरीतकी तहसील महवा की आराजी ख.नं. 194/2 रकबा 0.01, 194/4 रकबा 0.02, 301/2 रकबा 0.52, 301/4 रकबा 0.06, 303/1 रकबा 0.23, 303/3 रकबा 0.01, 304/1 रकबा 0.40, 304/3 रकबा 0.01 हैक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 1.26 हैक्टर का खातेदारान की उपस्थिति में सीमाज्ञान किया जाकर बाद पत्थरगढी करवाई जावे। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने से पूर्व खातेदारों को दिनांक व समय बाबत् नोटिस दिया जाकर सूचित किया जावे। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी का पूर्ण विवरण अंकित किया जावे तथा सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी का पर्चा तैयार किया जाकर सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी का पूर्ण विवरण अंकित करें तथा उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी कराये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.08.2023 पारित किये गये हैं।
3. उपखण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 25.08.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट रघुवीर पुत्र रामफूल ने यह अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा दिनांक 25.08.2023 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी निर्णय दिनांक 25.08.2023 विरूद्ध विधि विधान न्याय प्रक्रिया होने की गरज से सही नहीं है काबिले खारिज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी निर्णय अपीलान्ट को' सुने बिना एकतरफा में जारी किया गया है को नैसर्गिक न्याय के प्रतिपादित सिद्धांत एवं सामान्य न्याय के सिद्धांत की वजह से सही नहीं है अतः निर्णय काबिले खारिज है। अपीलान्ट की विधिवत तामिल कराये बिना गलत व झूठी रिपोर्ट अपूर्ण की इल्तवा मानकर अपीलान्ट के विरूद्ध एकतरफा करते हुए प्रश्नगत आज्ञा विधि विरूद्ध जारी फरमायी गयी है जो न्याय निर्णय प्रक्रिया के विरूद्ध होने की गरज से सही नहीं है निर्णय जारीशुदा काबिले खारिज है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नंबर 1 की हकीक भाई एक ही पिता रामफूल की संतान है आराजी वादग्रस्त पैतृक संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि रही है आराजी की बाबत जारी निर्णय डिक्री तकासमा विधि विरूद्व के विरूद्ध अपीलान्ट ने नियमित अपील रेस्पोडेन्ट नंबर 1 के विरूद्ध न्यायालय आर.ए.ए. महोदय के समक्ष पेश कर रखी है जो जेरकार है व रेस्पोडेन्ट नंबर 1 की जानकारी में होते हुए भी तहसीलदार महोदय महवा से पत्थरगढी करवाये जाने हेतु मिलीभगत से कारगुजारी की गयी है। क्योंकि न्यायालय एस.डी.ओ साहब की आज्ञा के बावजूद भी अपीलान्ट को कोई नोटिस जारी नहीं कर एकतरफा में पत्थरगढी किये जाने की जानकारी आयी है जानकारी दिनांक 08.04.2025 को होने पर जारीशुदा आदेश की नकल प्राप्त कर अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की जा रही है। आराजीयात की बाबत विवाद होने व अपील लंबित होने के तथ्य को छिपाकर बेजा आज्ञा पत्थरगढी प्राप्त की गयी है। रेस्पोडेन्ट नंबर 1 के पुनः कूटिल चालाक व बदनियति के व्यक्ति है मिसरिप्रिजन्टशेन कर साज कर अपीलान्ट को हानि पहुंचाने की गरज से गलत आदेश प्राप्त किया गया है जो न्याय नियम प्रक्रिया के विरूद्ध होने की गरज से किसी भी कदर सही नहीं है। जारीशुदा निर्णय काबिले खारिज है। यह है कि अपील जानकारी के अभाव में देरीना पेश की जा रही है ऐसी सूरत में धारा दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश कर बाद इजाजत अपील सुनवाई हेतु पेश है।

अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नंबर 1 की हकीक भाई एक ही पिता रामफूल की संतान है आराजी वादग्रस्त पैतृक संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि रही है आराजी की बाबत जारी निर्णय डिक्री तकासमा विधि विरूद्ध के विरूद्ध अपीलान्ट ने नियमित अपील रेस्पोडेन्ट नंबर 1 के विरूद्ध न्यायालय आर.ए.ए. महोदय के समक्ष पेश कर रखी है जो जेरकार है व रेस्पोडेन्ट नंबर 1 की जानकारी में होते हुए भी तहसीलदार महोदय महवा से पत्थरगढी करवाये जाने हेतु मिलीभगत से कारगुजारी की गयी है। क्योंकि न्यायालय एस.डी.ओ. साहब की आज्ञा के बावजूद भी अपीलान्ट को कोई नोटिस जारी नहीं कर एकतरफा में पत्थरगढी किये जाने की जानकारी आयी है जानकारी दिनांक 08.04.2025 को होने पर जारीशुदा आदेश की नकल प्राप्त कर अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की जा रही है। इसलिए अपील पेश करने में हुई देरी काबिले माफी है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा दिनांक 25.08.2023 जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट उनवानी रामधन बनाम राजस्थान सरकार, प्रकरण संख्या 27/2022 पर पारित किया गया है को निरस्त फरमाने की कृपा करे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कर अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि हाल रेस्पोडेन्ट नं. 01 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत् पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम बरीतकी तहसील

महवा की आराजी ख.नं. 194/2 रकबा 0.01, 194/4 रकबा 0.02, 301/2 रकबा 0.52, 301/4 रकबा 0.06, 303/1 रकबा 0.23, 303/3 रकबा 0.01, 304/1 रकबा 0.40 है0 खसरा नम्बर 304/3 रकबा 0.01 हैक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 1.26 हैक्टर प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। उक्त आराजी श्रीमान न्यायालय से कानूनी बंटवारा होने के वाद प्रार्थी को मिली है जिसका अप्रार्थीगण का कोई संबंध सरोकार नहीं है। दिनांक 30.06.2021 को तहसीलदार के निर्देशानुसार पटवारी हल्का व गठित टीम द्वारा मौके पर उक्त भूमि का सीमाज्ञान कर निशानात लगाये गये। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का प्रार्थना–पत्र बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार महवा को आदेश दिये गये कि ग्राम बरीतकी तहसील महवा की आराजी ख.नं. 194/2 रकबा 0.01, 194/4 रकबा 0.02, 301/2 रकबा 0.52, 301/4 रकबा 0.06, 303/1 रकबा 0.23, 303/3 रकबा 0.01, 304/1 रकबा 0.40, 304/3 रकबा 0.01 हैक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 1.26 हैक्टर का खातेदारान की उपस्थिति में सीमाज्ञान किया जाकर बाद पत्थरगढी करवाई जावे। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने से पूर्व खातेदारों को दिनांक व समय बाबत् नोटिस दिया जाकर सूचित किया जावे। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी का पूर्ण विवरण अंकित किया जावे तथा सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी का पर्चा तैयार किया जाकर सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी का पूर्ण विवरण अंकित करें तथा उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी कराये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.08.2023 पारित किये गये है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.08.2023 पारित किये गये है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 08.04.2025 को होते ही नकल हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर नकल प्राप्त करना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी कराने के संबंध में विवाद है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा के समक्ष हाल अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के रूप में पक्षकार बनाया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 हाल अपीलान्ट रघुवीर को न्यायालय द्वारा दिनांक 28.06.2022 को नोटिस जारी किया गया है। जिस पर तामील कुलिन्दा ने रिपोर्ट अंकित किया गया है कि "श्रीमान जी निवेदन है कि ग्राम गहलोनी गांव में गया तो रघुवीर पुत्र रामफूल माली घर पर नहीं मिला था। उसका लडका ने नोटिस लेने से मना कर दिया और चस्पा भी नहीं करने दिया असल अदम हल्फीया रिपोर्ट सेवा में पेश है।" जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट बावजूद तामील अनुपस्थित रहे हैं। हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा दिनांक 03.06.2021 को अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाया गया है। हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामधन ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट उनवानी रामधन बनाम सरकार बाबत् अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम बरीतकी तहसील महवा की आराजी ख.नं. 194/2 रकबा 0.01, 194/4 रकबा 0.02, 301/2 रकबा 0.52, 301/4 रकबा 0.06, 303/1 रकबा 0.23, 303/3 रकबा 0.01, 304/1 रकबा 0.40 है0 खसरा नम्बर 304/3 रकबा 0.01 हैक्टर कुल किता

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

8. कुल रकबा 1.26 हैक्टर प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। उक्त आराजी कानूनी बंटवारा होने के बाद प्रार्थी को मिली है जिसका अप्रार्थीगण का कोई संबंध सरोकार नहीं है। दिनांक 30.06.2021 को तहसीलदार के निर्देशानुसार पटवारी हल्का व गठित टीम द्वारा मौके पर उक्त भूमि का सीमाज्ञान कर निशानात लगाये गये। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का प्रार्थना–पत्र बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार महवा को आदेश दिये गये कि ग्राम बरीतकी तहसील महवा की आराजी ख.नं. 194/2 रकबा 0.01, 194/4 रकबा 0.02, 301/2 रकबा 0.52, 301/4 रकबा 0.06, 303/1 रकबा 0.23, 303/3 रकबा 0.01, 304/1 रकबा 0.40, 304/3 रकबा 0.01 हैक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 1.26 हैक्टर का खातेदारान की उपस्थिति में सीमाज्ञान किया जाकर बाद पत्थरगढी करवाई जावे। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने से पूर्व खातेदारों को दिनांक व समय बाबत् नोटिस दिया जाकर सूचित किया जावे। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी का पूर्ण विवरण अंकित किया जावे तथा सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी का पर्चा तैयार किया जाकर सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी का पूर्ण विवरण अंकित करें तथा उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी कराये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.08.2023 पारित किये गये हैं, जो उचित एवं विधिसम्यक है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.08.2023 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तहसीलदार महवा जिला दौसा को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट की उपस्थिति में सीमाज्ञान किया जाकर बाद पत्थरगढी करवाई जावे। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने से पूर्व अपीलान्ट को दिनांक व समय बाबत् नोटिस दिया जाकर सूचित किया जावे। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी का पूर्ण विवरण अंकित किया जावे तथा सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी का पर्चा तैयार किया जाकर सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी का पूर्ण विवरण अंकित करें तथा उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी कराये जावें। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.08.2023 यथावत रखा जाता है। तहसीलदार महवा जिला दौसा को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट की उपस्थिति में सीमाज्ञांन किया जाकर बाद पत्थरगढी करवाई जावे। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने से पूर्व अपीलान्ट को दिनांक व समय बाबत् नोटिस दिया जाकर सूचित किया जावे। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी का पूर्ण विवरण अंकित किया जावे तथा सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी का पर्चा तैयार किया जाकर सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी का पूर्ण विवरण अंकित करें तथा उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी कराये जावें।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय दिनांक 16.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर